



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032021-226270
CG-DL-E-31032021-226270

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1301]

नई दिल्ली मंगलवार, मार्च 30, 2021/चैत्र 9, 1943

No. 1301]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 2021/CHAITRA 9, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2021

का.आ. 1406(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्याक का.आ. 1365 (अ) तारीख, 13 दिसंबर, 2004, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

(1) उक्त अधिसूचना की सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 8 और 43 और स्तंभ 1 से 4 तक में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्, -

“8	(क) सभी मोटर यानों में लगी पहिया रिमें	आईएस : 9438:1980 या आईएस : 9436:1980 ।	13 दिसंबर, 2004 और 8(ख) तथा 8(ग) के कार्यान्वयन की तारीख तक विधिमान्य ।
	(ख) प्रवर्ग एम और एन के यानों के लिए पहिया रिमें	आईएस : 9436:2018 या आईएस : 9438:2018 ।	21 सितंबर, 2021 ।
	(ग) सभी ट्रेलरों और अर्धट्रेलरों में लगी पहिया रिमें	आईएस : 9438:2018 ।	1 अप्रैल, 2016 और 8(घ) के

			कार्यान्वयन की तारीख तक विधिमान्य।
	(घ) सभी ट्रेलरों और अर्धट्रेलरों में लगी पहिया रिमें	आईएस : 9438:2018।	21 सितंबर, 2021।”
“43	(क) एल प्रवर्ग के यानों पर लगे प्रकाश मिश्रातु पहिएं रिम, शीट धातु पहिएं रिमें और स्पोक पहिएं रिमें के लिए अपेक्षाएं।	एआईएस:073-2005, (भाग 1 से भाग 3)।	1 अप्रैल, 2008 और 43(ख), 43(ग) तथा 43(घ) के कार्यान्वयन की तारीख तक विधिमान्य।
	(ख) दो और तीन पहिएं यानों के लिए ऑटोमोटिव यान, पहिएं, रिमें : प्रकाश मिश्रातु पहिएं रिमें- परीक्षणों और अपेक्षाओं की रीति।	आईएस 16192 भाग 1 2014।	21 सितंबर, 2021।
	(ग) दो और तीन पहिएं यानों के लिए ऑटोमोटिव यान पहिएं रिमें : शीट धातु पहिएं रिमें-परीक्षणों और अपेक्षाओं की रीति।	आईएस 16192 भाग 2 2014।	21 सितंबर, 2021।
	(घ) दो और तीन पहिएं यानों के लिए ऑटोमोटिव यानों पहिएं रिमें : स्पोक पहिएं रिमें-परीक्षणों और अपेक्षाओं की रीति।	आईएस 16192 भाग 3 2018।	21 सितंबर, 2021।”

(2) उक्त अधिसूचना की सारणी क में,-

- ii. क्रम संख्या 6 और स्तंभ 1 से 4 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“6	(क) पहिया रिमें	आईएस:9436:1980।	1 अक्टूबर, 2014 और 6(ख) के कार्यान्वयन की तारीख तक विधिमान्य।
	(ख) पहिया रिमें	आईएस:9436:2018।	21 सितंबर, 2021।”

(3) उक्त अधिसूचना की सारणी ख में ई-रिक्शा और ई-गाडी के लिए सुरक्षा मानक,-

- iii. क्रम संख्या 2 और स्तंभ 1 से 4 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :

“2	(क) पहिया रिमें	एआईएस:073:2007।	8 अक्टूबर, 2014 और 2(ख), 2(ग) तथा 2(घ) के कार्यान्वयन की तारीख तक विधिमान्य।
	(ङ) दो और तीन पहिएं यानों के लिए ऑटोमोटिव यान पहिएं रिमें : प्रकाश मिश्रातु पहिएं रिमें-परीक्षणों और अपेक्षाओं की रीति।	आईएस 16192 भाग 1 2014।	21 सितंबर, 2021।
	(च) दो और तीन पहिएं यानों के लिए ऑटोमोटिव यान पहिएं रिमें : शीट धातु पहिएं रिमें-परीक्षणों और अपेक्षाओं की रीति।	आईएस 16192 भाग 2 2014।	21 सितंबर, 2021।

	(छ) दो और तीन पहिएं यानों के लिए ऑटोमोटिव यान पहिएं रिमें : स्पोक पहिएं रिमें-परीक्षणों और अपेक्षाओं की रीति।	आईएस 16192 भाग 3 2018 ।	21 सितंबर, 2021 ।”
--	---	-------------------------	--------------------

[फा. सं. आरटी-11036/17/2021-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1365(अ) तारीख 13 दिसंबर, 2004 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक का.आ. 46(अ) तारीख 12 जनवरी, 2005 द्वारा संशोधित की गई थी ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2021

S.O. 1406(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 109 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O.1365(E) dated the 13th December, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

(1) In the said notification, in the Table,-

i. for serial number 8 and 43 and entries relating thereto in column 1 to 4, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely. –

“8	(a)Wheel rims fitted in all motor vehicles.	IS:9438:1980 or IS:9436:1980.	13 th December 2004 and valid upto dates of implementation of 8(b) and 8 (c).
	(b)Wheel rims for vehicles of categories M and N.	IS 9436-2018 or IS 9438-2018.	21 st September 2021.
	(c)Wheel rims fitted in all trailers and semi-trailers.	IS 9438-1980.	1 st April 2016 and valid upto dates of implementation of 8(d).
	(d)Wheel rims fitted in all trailers and semi-trailers.	IS 9438-2018.	21 st September 2021.”
“43	(a)Requirement for light alloy wheel rims, sheet metal wheel rims and spoke wheel rims, fitted on L category vehicles.	AIS:073-2005, (Part 1 to Part 3).	1 st April 2008 and valid upto dates of implementation of 43 (b), 43 (c) and 43 (d).
	(b)Automotive Vehicles Wheel Rims for Two and Three Wheeled Vehicles: Light Alloy Wheel Rims - Method of Tests and Requirements.	IS 16192 Part 1 2014.	21 st September 2021.

	(c)Automotive Vehicles Wheel Rims for Two and Three Wheeled Vehicles: Sheet Metal Wheel Rims - Method of Tests and Requirements.	IS 16192 Part 2 2014.	21 st September 2021.
	(d)Automotive Vehicles Wheel Rims for Two and Three Wheeled Vehicles: Spoke Wheel Rims - Method of Tests and Requirements.	IS 16192 Part 3 2018.	21 st September 2021.”

(2) In the said notification, in the Table A, -

- ii. for serial number 6 and entries relating thereto in column 1 to 4, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely.—

“6	(a)Wheel rims.	IS:9436:1980.	1 st October, 2014 and valid upto dates of implementation of 6(b).
	(b)Wheel rims.	IS 9436-2018.	21 st September 2021.”

(3) In the said notification, in the Table B Safety Standards for E-rickshaws and E-carts, -

- iii. for serial number 2 and entries relating thereto in column 1 to 4, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely.—

“2	(a)Wheel rims.	AIS:073-2007.	8 th October, 2014 and valid upto dates of implementation of 2 (b), 2 (c) and 2 (d).
	(e)Automotive Vehicles Wheel Rims for Two and Three Wheeled Vehicles: Light Alloy Wheel Rims - Method of Tests and Requirement.	IS 16192 Part 1 2014.	21 st September 2021.
	(f)Automotive Vehicles Wheel Rims for Two and Three Wheeled Vehicles: Sheet Metal Wheel Rims - Method of Tests and Requirements.	IS 16192 Part 2 2014.	21 st September 2021.
	(g)Automotive Vehicles Wheel Rims for Two and Three Wheeled Vehicles: Spoke Wheel Rims - Method of Tests and Requirements.	IS 16192 Part 3 2018.	21 st September 2021.”

[F. No. RT-11036/17/2021-MVL]
AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number S.O. 1365(E), dated the 13th December, 2004 and and lastly amended vide notification number S.O. 46(E), dated the 12th January, 2005.